

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/37/2013-अ.भा.से.-I

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 25.09.2018

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उत्तर प्रदेश सरकार और गृह मंत्रालय की सहमति से केंद्र सरकार श्री अभिषेक सिंह, आई.ए.एस. (उत्तर प्रदेश:2011) का उत्तर प्रदेश संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग (दिल्ली खंड) में, 04.03.2018 से अगले दो वर्षों की अवधि के लिए अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के विस्तार को अनुमोदन प्रदान करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, नई दिल्ली।